दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 25 सितंबर, 2013
निर्णय की तिथि : 3 अक्टूबर, 2013

आप.अ. 229/2003

राज कुमार .....अपीलार्थी

द्वारा: श्रीके.बी.एंडली, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री एम. शमीख, अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.डुडेजा, अति.लो.अभि.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

1. राज कुमार (अपीलार्थी/अ-1), अनिल उर्फ गोपी (अ-2), नरेश कुमार उर्फ निप्पी (अ-3) और ललिता (अ-4) को प्राथमिकी संख्या 415/96 पीएस विवेक विहार के तहत गिरफ्तार किया गया और भा.दं.सं. की धाराएं 342/304/34 के तहत अपराध करने के आरोप में विचारण के लिए भेजा गया, जिसमें आरोप है कि 15.11.1996 को लगभग 08.00 बजे सुबह मकान नंबर 107, पुरानी तेजाब मिल, शाहदरा में, इन्होंने साझा इरादे से विवेक को गलत तरीके से

बंधक बनाने के बाद हॉकी, लातों और घूंसों से उसकी पिटाई की। विवेक ने 19.11.1996 को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब डेली डायरी (डीडी) संख्या 83 बी (प्र.अभि.सा.-11/ए) को शाम 07.45 बजे थाना कृष्णा नगर में दर्ज किया गया, जब सूचना मिली कि एक लड़का, जिसे बुरी तरह पीटा गया था, बी-23, जगतपुरी, सरवरिया मेडिकल सेंटर के सामने गली में गंभीर हालत में पड़ा है। जांच का जिम्मा हेड कांस्टेबल राजबीर सिंह को सौंपा गया, जो कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर गए और पता चला कि घायल को पहले ही एसडीएन अस्पताल ले जाया जा चुका है। उन्होंने घायल विवेक की एमएलसी ली और बताया गया कि मरीज को मोंगा नर्सिंग होम, कृष्णा नगर ले जाया गया है। जांच का जिम्मा ए.एस.आई. राजिंदर सिंह ने संभाला और वे मोंगा नर्सिंग होम, कृष्णा नगर पहुंचे। चूंकि विवेक बेहोश था, इसलिए जांच अधिकारी ने मदन लाल का बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) दर्ज किया और प्राथमिकी दर्ज की। 16.11.1996 को राज कुमार (अ-1) को गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासे वाले बयान के अनुसार विवेक की पिटाई में इस्तेमाल किया गया टूटा हुआ बल्ला बरामद किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान अ-2 से अ-4 को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने उन्नीस गवाहों से पूछताछ की। अपने 313 बयानों में, अ-1 से अ-4 ने झूठा फंसाने का आरोप लगाया। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अ-2 और अ-3 को आरोपों से बरी कर

दिया। अ-1 को भा.दं.सं. की धारा 304 भाग- के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अ-4 को धारा 342 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने केवल धारा 342 भा.दं.सं. के तहत अ-2 और अ-3 को बरी करने तथा अ-4 को दोषसिद्ध करने को चुनौती नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि अ-4 ने अपील न करने का विकल्प चुना है।

2. अ-1 की दोषसिद्धि मुख्य रूप से मृतक के पिता अभि. सा.-1 (मदन लाल) के बयान पर आधारित है, जिन्होंने बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) दर्ज किया था। यह घटना दिनांक 15.11.1996 को प्रातः लगभग 08.00 बजे घटित हुई। 16.11.1996 को प्रातः 12.50 बजे पुलिस में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई अत्यधिक देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। किसी आपराधिक मामले में प्राथमिकी विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। प्राथमिकी को शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिकाएं, प्रयुक्त हथियार (यदि कोई हो) तथा प्रत्यक्षदर्शियों के नाम (यदि कोई हो) शामिल हैं। सूचना देने वाले द्वारा घटना की पूर्व सूचना, उसके सभी स्पष्ट विवरणों के साथ, घटना की सत्यता के बारे में आश्वासन देती है। 'जय प्रकाश

सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य', 2012 सीआरआई.एल.जे.2101 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"आपराधिक मामले में प्राथमिकी महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, हालांकि यह ठोस साक्ष्य नहीं हो सकता है। किसी अपराध के संबंध में प्राथमिकी शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिका के साथ-साथ घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के नाम भी प्राप्त करना है। यदि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी होती है, तो इससे स्वतःस्फूर्तता का लाभ समाप्त हो जाता है, तथा बड़ी संख्या में परामर्श/विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रंगीन संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी पेश होने का खतरा पैदा हो जाता है। निस्संदेह, प्राथमिकी दर्ज करने में तत्परता मुखबिर की बात की सत्यता के बारे में एक आश्वासन है। तुरंत दर्ज की गई प्राथमिकी से यह पता चलता है कि वास्तव में क्या हुआ था और संबंधित अपराध के लिए कौन जिम्मेदार था।"

3. मदन लाल ने अपने बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) में खुलासा किया कि लगभग 11 बजे सुबह उसके पड़ोसी सावन ने उसकी दुकान पर उसे बताया कि विवेक को लड़की के चाचा और मां ने उनके घर में रोक लिया है, जब वह उसे एक पत्र देने गया था और उससे कहा कि वह जाकर उसे समझा दे। जब वह सावन के साथ मौके पर गए तो देखा कि विवेक को मारपीट कर घर के एक

कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। अ-1 और उसके दो साथी जिनके नाम गोपी (अ-2) और निप्पी (अ-3) उम्र 22/23 वर्ष थे, ने विवेक को हॉकी, लातों और घूंसों से पीटा। उनसे समझौता करवाया गया और उसके बाद वह अपनी दुकान पर वापस आ गया। कुछ देर बाद, विवेक को उसके घर पर छोड़ दिया गया। चोटों के कारण विवेक बेहोश हो गया और उसकी हालत बिगड़ गई। उसने 100 नंबर पर फोन किया और विवेक को एसडीएन अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसने उसे मोंगा नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया.. जाहिर है, शिकायतकर्ता ने घटनास्थल पर अ-4 की मौजूदगी का दावा नहीं किया और न ही उस पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य करने का आरोप लगाया। मदन लाल को जब लगभग 11 बजे पता चला कि उनके बेटे विवेक को हमलावरों ने बुरी तरह पीटा है और घर में उनकी मौजूदगी में उसकी पिटाई की गई, तो उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को न देने का कोई कारण नहीं बताया। यह अस्पष्ट है कि मदन लाल ने हमलावरों को अपने बेटे की पिटाई करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। उसका आचरण काफी अस्वाभाविक और अनुचित है क्योंकि घटनास्थल से वह विवेक को अपने साथ अपनी दुकान या घर या अस्पताल नहीं ले गया। उसने विवेक को उस स्थान/घर पर छोड़ दिया जहां उसे कथित तौर पर बंधक बनाया गया था और पीटा गया था, और पुलिस में कोई शिकायत दर्ज किए बिना आसानी से अपनी दुकान पर लौट आया। न्यायालय में अभि.सा.-1 के रूप में उपस्थित होते हुए, मदन लाल ने महत्वपूर्ण सुधार किए तथा नए तथ्य प्रस्तुत किए, जिनका उल्लेख बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) में नहीं

था। न्यायालय में दिए गए अपने बयान में उसने खुलासा किया कि कोई 'पप्पी' सुबह 8 या 8.30 बजे उसकी दुकान पर आया था और वह उसके साथ अपनी स्कूटर पर घटनास्थल पर गया था। पप्पी सावन का बेटा है। उसने यह नहीं बताया कि सावन ने उसे घटना की जानकारी दी थी और वह उसके साथ घटनास्थल पर गया था। जांच के दौरान सावन से पूछताछ नहीं की गई और उसे गवाह के तौर पर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। उन्होंने आगे एक नई दलील दी कि घर में एक महिला (अ-4) मौजूद थी और उसने अ-1 और अ-4 को विवेक को बल्ले से पीटते हुए देखा था। अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों (अ-2 और अ-3) ने विवेक को थप्पड़ मारे और पीटा जिससे वह बोल नहीं पाया और बेहोश हो गया। अ-1 द्वारा धमकी दिए जाने के बाद वह दुकान पर वापस आ गया। बाद में अभियुक्त व्यक्तियों ने विवेक को दुकान पर छोड़ दिया और उन्होंने अपने बेटे विवेक को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे 'मृत' घोषित कर दिया। पहली बार दिया गया कथन इस बयान (प्र. अभि.सा.-1/ए) से असंगत है। शिकायतकर्ता, मृतक के पिता से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह हस्तक्षेप न करे और अभियुक्त व्यक्तियों को विवेक को गंभीर रूप से पीटने से न रोके। उसने कोई शोर नहीं मचाया और लड़के को पिटाई से बचाने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किए बिना ही उसे घर के अंदर छोड़ दिया। उसे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। यह आचरण घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विवेक को शिकायतकर्ता की दुकान पर किसने और किस हालत में छोड़ा था। ऐसी नाजुक हालत में बच्चे को

अस्पताल ले जाने में देरी समझ से परे है। अभि.सा.-1 (मदन लाल) ने यह नहीं बताया कि वह घायल/पीड़ित को किस समय अस्पताल ले गया था और यदि हाँ तो कहाँ से, अर्थात घर से या दुकान से। उसके चचेरे भाई अभि.सा.-2 (ललित कुमार) ने उनके दावे का खंडन करते हुए दावा किया है कि उस दिन जब वह कार्यालय से अपने घर लौटा तो उसका चचेरा भाई (विवेक) बेहोश था और उसने 100 नंबर पर पुलिस को सूचित करने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रतिपरीक्षा में उसने खुलासा किया कि उसने विवेक को शाम 6.30 बजे उसके घर पर देखा था जो 3 या 4 घर दूर था। उसने आगे बताया कि जब उसने विवेक को अस्पताल में भर्ती कराया तो उसके साथ कोई और नहीं था। उसने बताया कि पहले वह विवेक को एसडीएन अस्पताल ले गया और वहां से उसे कृष्णा नगर स्थित मोंगा नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया। एमएलसी (प्र.अभि.सा.-15/ए) ने दर्ज किया कि विवेक को पीसीआर के एचसी हंस राज द्वारा रात 08.30 बजे एसडीएन अस्पताल, शाहदरा ले जाया गया। इसमें आगे रात 10.15 बजे का एक अनुमोदन भी है जिसके अनुसार मदन लाल ने विवेक को अपनी जिम्मेदारी पर एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कराया। मोंगा नर्सिंग होम में एमएलसी, मार्क 'एक्स' और 'वाई' से पता चलता है कि विवेक को 16.11.1996 को 02.00 बजे वहां भर्ती कराया गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इस बारे में अलग-अलग बयान दिए हैं कि विवेक को किस स्थान से अस्पताल ले जाया गया था, यानी अभियुक्तों के घर से, शिकायतकर्ता की

दुकान/मकान से या बी-23, जगतपुरी, सरवरिया मेडिकल सेंटर के सामने वाली गली से।

4. शिकायतकर्ता ने अपने न्यायालयीन बयान में उस बल्ले (प्र.पी1) की पहचान नहीं की, जो कथित तौर पर अ-1 के कहने पर बरामद किया गया था, जिससे विवेक की पिटाई की गई थी। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर विभिन्न तथ्यों पर उनसे प्रतिपरीक्षा की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया बल्ला अ-1 के कहने पर बरामद किया गया था। मदन लाल उस घर का सही ठिकाना बताने में असमर्थ था, जहां वह गया था और जहां मृतक को पीटा गया था। उसने आगे कहा कि वह आधे या पौने एक घंटे तक कमरे में रहे और करीब दो घंटे बाद विवेक को बेहोशी की हालत में उनके घर लाया गया। उसने फिर से दूसरा विवरण देते हुए कहा कि उसने अ-1 को देखा था, जिसने विवेक को दो पहिया स्कूटर पर उनकी दुकान के पीछे छोड़ दिया था। विभिन्न तथ्यों पर उनका बयान (प्र.अभि.सा.-1/डीए) से सामना कराया गया। विवेक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिखे। शिकायतकर्ता को दस्तावेज (प्र.अभि.सा.-1/डीए) दिखाया गया और उसने बिंदु 'ए' पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। हालाँकि, वह यह बताने में असमर्थ रहा कि इसे किसने लिखा था और इसे कहाँ निष्पादित किया गया था। प्र. अभि.सा.-1/डी.ए. ने मृतक विवेक का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा लड़की को न छेड़ने का

वादा किया। इसी प्रकार, मदन लाल ने पीड़ित द्वारा प्र.अभि.सा.-1/डी.ए. में वादा किये जाने के बाद तसदीक़ कर दी। इसके बाद बच्चे को घर पर छोड़ने की कोई नौबत नहीं आई।

5. समान साक्ष्य के आधार पर अ-2 और अ-3 को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। अभि.सा.-7 (पीसीआर के एचसी हंस राज) ने बयान दिया कि उन्हें रात 10 या 10.30 बजे झगड़े की कॉल आई थी। उन्हें असहयोगी घोषित कर दिया गया तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा उनसे प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि कॉल शाम 07.40 बजे आई थी। घटनास्थल पर 20 या 25 लोग एकत्र हुए थे लेकिन किसी स्वतंत्र लोक साक्षी से पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने विरोधाभासी बयान दिया कि पीड़ित के पिता पीसीआर में उनके साथ थे। अभि.सा.-9 (कांस्टेबल ओम प्रकाश) ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता का बयान उसके घर नंबर 107, पुराने तेजाब मोहल्ला में रात 12.30 बजे दर्ज किया गया था। की गई जांच अत्यधिक दोषपूर्ण और खामियों से भरी हुई है, तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर विश्वास करके दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बिल्कुल अलग-अलग बयान दिए हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक-दूसरे का खंडन किया है। घटनास्थल पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति निश्चित रूप से साबित नहीं हुई है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी समझ से परे है। शिकायतकर्ता सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों का आचरण

अत्यधिक अनुचित और अस्वाभाविक है तथा स्वीकार्य मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं है। उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और उसे किसी दोषसिद्धि को दर्ज करने के लिए इतना भरोसेमंद और स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। समान सबूतों पर सह-अभियुक्तों का बरी होना अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर बनाता है। अपीलार्थी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील को अनुमति दी जाती है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को आरोप से बरी किया जाता है। जमानत बांड और प्रतिभू बांड खारिज कर दिए जाते हैं। विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
माननीय न्यायाधीश

03 अक्टूबर, 2013/टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*